अध्याय- IV

शुल्क छूट/ रियायत योजनाएं

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूंजीगत माल के आयात के लिए संपूर्ण अथवा सीमा शुल्क के भाग की छूट दे सकती है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक विशिष्ट शर्तों का पालन करने के साथ साथ निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने का वचन देते हैं, जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उदग्रहणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (अप्रैल 2014 से मार्च 2016) 35 मामले पाए गए जिनमें ₹ 461.66 करोड का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल था जहां शुल्क छूट ईओज/शर्ते पूरी किए बिना लाभ लिया गया था। इनमें से तेरह मामलों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है और 22 मामले जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और की गई वसूलियों/वसूली कार्रवाइयॉ **अनुलग्नक 8** मे उल्लिखित हैं।

4.1 विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3के अन्तर्गत प्रतिफल/प्रोत्साहन योजनाएं

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अत्यधिक उपयोग

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 एएए के अनुसार एक व्यक्ति को जारी एक साधन अधिनियम या विनियमन विदेशी व्यापार (विकास और अधिनियम) 1992 के प्रयोजन के लिए मिलीभगत या जान बूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था ऐसे साधन का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, नियमों या उसके तहत जारी अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति जिसे वह साधन जारी किया गया था, के अलावा अन्य द्वारा उपयोग किया गया था, साधन के ऐसे उपयोग पर लगने वाले शुल्क को कभी भी छूट प्राप्त या डेबिट नहीं माना जाएगा तथा यह शुल्क उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिसे यह साधन जारी किया गया था। उन व्यक्तियों जिन्हें साधन जारी किया गया था पर वसूली की कार्रवाई अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत वास्तविक आयातक पर की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाती है।

महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी), विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी 2009-14) के अध्याय 3 के अन्तर्गत विभिन्न संयुक्त महा निदेशक विदेशी व्यापार कार्यालयों (जेडीजीएफटीज) के माध्यम से विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं जैसे विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीके जीयूवाई), फोकस मार्केट योजना (एफएमएस), फोकस प्रोडक्ट योजना (एफपीएस), स्टेटस होल्डर इन्सेंटिव योजना (एसएफआईएस) के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप या लाइसेंस जारी करता है। यह स्क्रिपस आसानी से हस्तांतरित की जाती है और इनका उपयोग माल के आयात के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना उपलब्ध क्रेडिट की सीमा तक किया जा सकता है। निर्यात लाभ योजना के प्रकार पर शिपिंग बिलों के मूल्य के आधार पर फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित किया जाता है।

उपलब्ध क्रेडिट के उपयोग के लिए, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र के रूप में जारी) संबंधित आयात द्वारा हाथ से सीमा शुल्क हाऊस में पंजीकृत किया जाता है जिसके लिए यह जारी किया जाता है।

सीमाशुल्क हाऊस में, स्क्रिपों के हाथ से पंजीकरण के दौरान, निम्नलिखित अनिवार्य विवरण अर्थात स्क्रिप संख्या, स्क्रिप की तिथि, पंजीकरण का पोर्ट, आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) एफओबी मूल्य, अनुमत क्रेडिट का मूल्य को भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के लाइसेंस पंजीकरण माडयूल में प्रविष्ट किया जाता है। सफलतापूर्वक वैधीकरण पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पंजीकरण संख्या सृजित की जाती है और प्रत्येक एकल स्क्रिप को दी जाती है। यह पंजीकरण संख्या आयातकों द्वारा स्क्रिप के प्रति किसी भी पोर्ट पर सभी अनुवर्ती आयातों के लिए उद्धृत की जाती है।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटा का विश्लेषण किया (31 मार्च 2015 तक) और सीमाशुल्क विभाग (आईसीईएस) द्वारा अनुरक्षित लाइसेंस डेबिट विवरण (31 मार्च 2015 तक) जो विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 के अन्तर्गत जारी साधन के संबंध में शुल्क क्रेडिट के अत्यधिक उपयोग के बारे निम्नलिखित विधियों के प्रयोग द्वारा स्क्रिप/स्क्रिप के प्रयोग के पंजीकरण के हेर फेर के माध्यम से बताता हैः

(क) स्क्रिप तिथि बदल कर पहले से ही प्रयुक्त स्क्रिप का पुनः पंजीकरण और उपयोग करना,

(ख) पंजीकरण के पोर्ट को परिवर्तित कर पहले से प्रयुक्त स्क्रिप का पुनः पंजीकरण और उपयोग,

(ग) स्क्रिप धारक को जारी न की गई शुल्क स्क्रिप का बहुल पुनः पंजीकरण,

(घ) अनुमत क्रेडिट से अधिक मूल्य के लिए क्रेडिट स्क्रिप का पंजीकरण

(ङ) टेलिग्राफिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) जारी करने के बाद शुल्क क्रेडिट को दोनों रजिस्ट्रेशन के वास्तविक पोर्ट और अन्य पार्टों पर पूर्ण रूप से उपयाग करना।

मामला नीचे दर्शाया गया है:

4.1.1 भिन्न तिथियों के साथ स्क्रिपों (लाइसेंस) के पुनः पंजीकरण द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

डीजीएफटी डाटा/लाइसेंस डेबिट विवरण के विश्लेषण से लेखापरीक्षा ने शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों के मामले पाए जो पहले से पंजीकृत थे और एक पोर्ट पर उनका उपयोग हुआ था, को भिन्न तिथियों के साथ पुनः पंजीकृत किया गया था और देश के विभिन्न पोर्टों पर माल के आयात पर सीमाशुल्क के भुगतान के लिए दोबारा उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग से सत्यापित किया कि पुनः पंजीकरण, पंजीकरण के पोर्ट के अलावा अन्य पोर्टों के माध्यम से माल के आयात के लिए उन स्क्रियों के प्रति जारी किसी टेलीग्राफिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) के कारण नहीं था।

लेखापरीक्षा ने प्रारंभ में चेन्नई (सी) सीमा शुल्क कमिश्नरी को पुनः पंजीकृत स्क्रिपों के ऐसे 135 मामलों के बारे में बताया था (नवम्बर 2015)। चेन्नई (सी) सीमा शुल्क कमिश्नरी ने कहा (जनवरी 2016) कि वास्तविक लाइसेंस गलती से परिवर्तित संख्या के साथ पंजीकृत हो गए थे और दोहरीकरण के कारण निर्धारित सीमा से आगे शुल्क क्रेडिट का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ था।

दो[42] स्क्रिप जिनमें कुल ₹56.30 लाख का वास्तविक शुल्क क्रेडिट शामिल था, मूल रूप से चेन्नई सी और तूतीकोरीन सीमा शुल्क में पंजीकृत था को समान/भिन्न राशि के लिए भिन्न स्क्रिप तिथियों के साथ ₹ 530.44 लाख की कुल राशि के लिए आईसीडी, तुगलकाबाद में पुनः पंजीकृत और ₹ 527.67 लाख तक उपयोग किया गया था। ऐसे अधिक उपयोग की आईसीडी तुगलकाबाद द्वारा पुष्टि की गई थी (जनवरी 2016) और यह भी कहा गया था कि 2009 की अवधि से आगे के लिए एफटीपी के अध्याय 3 के तहत जारी लाइसेसों के दुरूपयोग से संबंधित मामला पहले से ही आईसीडी, तुगलकाबाद के विशेष जांच और आसूचना शाखा (एसआईआईबी) द्वारा जांच के अधीन था।

लेखापरीक्षा ने बाद में 7 पोर्टों में शुल्क क्रेडिट के अधिक उपयोग के इसी प्रकार के 29 मामले पाए जिनमें ₹ 3.59 करोड़ शामिल था, जिसे कमिश्नरियों को बताया गया था। अतः 31 मामलों में, ₹ 8.87 करोड़ की राशि के शुल्क क्रेडिट का अधिक उपयोग पाया गया। बाकी मामलों में कमिश्नरी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। (दिसम्बर 2016)।

4.1.2 भिन्न पोर्ट कोड के साथ स्क्रिपों के पुनः रजिस्ट्रेशन द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

22 पोर्टों के 46 मामलों में, यह पाया गया कि लाइसेंस पोर्ट कोड परिवर्तित कर दूसरी बार पुनः पंजीकृत किए गए थे और आयात के लिए प्रयुक्त किए गए जिसमें ₹ 17.73 करोड़ तक का अधिक शुल्क क्रेडिट शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पुष्टि हेतु संबंधित कमिश्नरियों को मामले के विवरण सूचित किए थे (नवम्बर 2015 और फरवरी 2016)।

---

[42] दिनांक 7.12.2009 स्क्रिप सं.3510028447 जेडीजीएफटी महुरै द्वारा जारी ₹ 4.79 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए को स्क्रिप तिथि 7.12.2011 बदल कर ₹ 478.93 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

₹ 51.51 के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, चैन्नई द्वारा दिनांक 25.5.2012 को जारी स्क्रिप सं.410138357 को स्क्रिप तिथि बदल कर 25.07.2012 ₹ 51.51 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

सत्यापन के बाद, तूतीकोरिन कमिश्नरी ने कहा (मार्च/अक्तूबर 2016) कि ₹1.57 करोड़ के कुल मात्रिक मूल्य की दो[43] स्क्रिपों, जिन्हें तूतीकोरिन कमिश्नरी में उपयोग किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अनियमित रूप से आईसीडी तुगलकाबाद में पंजीकृत किया गया था और शुल्क अपवंचन को वसूल किया जाना अपेक्षित है। तभी से मामला आगे की कार्यवाही हेतु तुगलकाबाद कमिश्नरी को संदर्भित किया गया है (मार्च 2016)।

बकाया 44 मामलें जिनमें 21 पोर्ट शामिल है के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

4.1.3 स्क्रिप धारक को जारी न किए गए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के बहुल पुनः पंजीकरण

47 मामलों में आईसीडी तुगलकाबाद में वास्तविक स्क्रिप के पंजीकरण के बाद स्क्रिप धारकों ने उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग किया, और उसी पोर्ट (आईसीडी तुलगकाबाद) में एक से अधिक स्क्रियों का पंजीकरण किया। ऐसे स्क्रिपों को उन्हें जारी वास्तविक स्क्रिप संख्या के समान या भिन्न शुल्क क्रेडिट के साथ पिछली कुछ संख्याओं को बदल कर पंजीकृत किया गया था और ₹ 16.26 करोड़ तक की सीमा के लिए आयातों के लिए प्रयोग किया गया था। कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.1.4 उपयुक्त क्रेडिट से अधिक मूल्य के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का पंजीकरण

6 मामलों में, आईसीडी तुगलकाबाद में पंजीकृत स्क्रिप स्वीकार्य क्रेडिट से अधिक के लिए पंजीकृत आयात करने के लिए उपयोग किया गया। ऐसे अत्यधिक शुल्क क्रेडिट का उपयोग ₹ 2.29 करोड़ तक का था।

---

[43] ₹ 11.10 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, मदुरै द्वारा दिनांक 12.11.2012 को स्क्रिप सं.3510039803 जारी की थी और उसे आईसीडी तूतीकोरीन में पंजीकृत किया गया था को आईसीडी तुगलकाबाद के पोर्ट कोड बदलकर ₹ 111 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

₹ 4.58 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, मदुरै द्वारा दिनांक 11.12.2012 को स्क्रिप सं.3510039804 जारी की गई और आईसीडी तूतीकोरीन में पंजीकृत किया गया था, आईसीडी तुगलकाबाद का पोर्ट कोड बदल कर ₹ 45.81 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

6 मामलों में से, 5 मामलों में, स्क्रिप आईसीडी तुगलकाबाद में वास्तविक या अन्तरीय शुल्क क्रेडिट के साथ, उन्हें जारी वास्तविक स्क्रिप संख्या की अन्तिम संख्या को बदल कर दोबार पंजीकृत किए गए थे, और ₹ 2.33 करोड़ तक का क्रेडिट उपयोग किया गया था।

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) ने उक्त मामलों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष सहित आंशिक रूप से सहमति के रूप में कहा है (दिसंबर 2016) कि प्रणाली की विफलता या प्रणाली की सत्यापन की कमी के कारण शेयरों की जालसाजी के खाते की ओर इशारा करते है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों में कमी है जिससे प्रणाली में दुरूपयोग की संभावना हुई । लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी प्रणाली में जारी लाईसेस संख्या एक, दस अंकीय अद्वतीय संख्या है । जबकि आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन में यह सुनिशिचित करने के लिए काई इनपुट नियंत्रण तंत्र नहीं है कि वैध लाईसेंस संख्याओं के लिए पंजीकरण हेतु केवल 10 अंकीय संख्या ही अनुमत की जाए । प्रणाली में वैध लाईसेस संख्याओं के रूप में पंजीकरण हेतु 10 अंकों से अधकि/कम की संख्याओं, अक्षरांकीय वर्ण, विशेष अक्षरों की अनुमति दी गई । इन कमियों के कारण, प्रणाली देसरे या अनुवर्ती पंजीकरण के दौरान डयूटी क्रेडिट की किसी भी राशि से पंजीकरण के पोर्ट या वास्तविक लाईसेंस तिथि बदलकर पहले से पंजीकृत लाईसेंस संख्या को पुन: पंजीकृत करने की अनुमति देती है । प्रणाली में मौजूद उपरोक्त कमियों का फायदा उठाया गया था और डयूटी क्रेडिट लाईसेंस का कई पोर्टों में, मुख्य रूप से आईसीडी, तुगलकाबाद में अत्यधिक दुरूपयोग किया गया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया में योजना के दुरूपयोग के लिए आयातक की जालसाजी को प्रणाली के सत्यापन की बजाय कारण बताने को इस प्रणाली की कमियों के निरंतर दुरूपयोग करने हेतु दर्शाती है।

यह चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया है (जनवरी 2017) कि अब भी प्रणाली पहले से ही पंजीकृत लाइसेंस की पुन: पंजीकरण की अनुमति देता है जिससे विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किए गए लाइसेंस के गलत उपयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है जो भारत सरकार के राजस्व हेतु हानिकारक है

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा है कि अलग- अलग तारीखों में लाईसेंसों का पुन: पंजीकरण करके डयूटी क्रेडिट के प्रयोग से संबंधित लेखापरीक्षा में बताये

गये 31 मामलों में से 15 में अधिक प्रयोग नहीं किया गया था । मंत्रालय के अनुसार डीजीएफटी, लुधियाना ने अनजाने में अनवरूद्ध लाईसेंस संख्याओं के प्रति मैनुअल स्प से लाईसेंस जारी किये । इसके फलस्वरूप यह लाईसेंस संख्या अन्य निर्यातकों द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदनों हेतु एक साथ उपयोग की जा रही थी जिसके कारए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां एक ही लाईसेंस संख्या दो निर्यातकों के नाम पर हो गई।

मैनुअल रूप से लाईसेंस संख्या अनजाने में जारी करने के बारे में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन करता है कि प्रणाली केवल गलत प्रयोग हेतु अति संवेदनशील है।

4.1.5 टेलिग्राफ्रिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) जारी करने के बाद पंजीकरण के वास्तविक पोर्ट में स्क्रिपों का दुरूपयोग

एक सीमा शुल्क पोर्ट से दूसरे पोर्ट में स्क्रिप में उपलब्ध क्रेडिट की राशि को हस्तांतरिक करने के लिए एक टीआरए जारी किया जाता है, जहां स्क्रिप धारक अन्य पोर्ट के माध्यम से आयात के लिए शेष क्रेडिट का उपयोग करने का इरादा रखता है। टीआरए प्राप्तकर्त्ता पोर्ट में निर्यातकों को स्क्रिप को पुनः पंजीकृत करने और टीआरए के अनुसार उस स्क्रिप में उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के प्रारंभिक पोर्ट में स्थानांतरित शुल्क क्रेडिट राशि उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि पूरा क्रेडिट या उसका भाग नए पोर्ट को पहले से ही स्थानांतरित किया जा चुका था।

डीजीएफटी/सीमाशुल्क डाटा और आईसीईएस 1.5 के लाइसेंस प्रबन्धन माडयूल की जांच से पता चला कि 12 लाइसेंसो में जहां टीआरए जारी किया गया था, आयाताकों द्वारा पंजीकरण के वास्तविक पोर्ट में ₹ 4.22 करोड़ तक के क्रेडिट का दुरूपयोग किया गया था इन सभी 12 लाइसेंसों में पूरा शुल्क क्रेडिट, जो पहले से पुनः पंजीकृत पोर्ट में स्थानांतरित था का उपयोग किया गया था।

उदाहरण के लिए ₹62.71 लाख के शुल्क क्रेडिट के साथ दिनांक 23.3.2010 को स्क्रिप सं. 3010066055 को प्रारंभ में लुधियाना पोर्ट (आईएनएलडीएच6) (पंजीकरण सं./3010066055/दिनांक 23-3-10) पर पंजीकृत किया गया था। स्क्रिप धारक ने चेन्नई पोर्ट (आईएनएमएए 1) के लिए ₹62.71 लाख के पूरे शुल्क क्रेडिट के लिए टीआरए प्राप्त किया और चेन्नई में स्क्रिप को पुनः

पंजीकृत किया (पंजीकरण सं. 46012/214-10) और ₹ 62.71 लाख के लिए आयात द्वारा क्रेडिट का उपयोग किया। चूंकि पूरा क्रेडिट पहले ही चेन्नई पोर्ट को स्थानांतरित किया गया था, लुधियाना पोर्ट पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होना चाहिए था। तथापि, स्क्रिप धारक सिस्टम में अपर्याप्त वैधीकरण नियंत्रण के कारण लुधियाना पोर्ट पर भी आयात और ₹ 62.71 लाख का उपयोग कर सका।

कमिश्नरी को मार्च/सितम्बर 2016 में इसके बारे में सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अतः विभाग के आईसीईएस और डीजीएफटी सिस्टम में इनपुट वैधीकरण नियंत्रण की कमी और विभागयी अधिकारियों द्वारा शुल्क स्क्रिपों के पंजीकरण/डेबिटिंग की अप्रभावी मानीटरिंग के परिणामस्वरूप ₹ 51.70 करोड़ तक के शुल्क क्रेडिट का अधिक/अनियमित उपयोग हुआ।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा है (दिसम्बर 2016) कि डीआरआई को डीजीएफटी से केन्द्रीय रूप से प्राप्त उपयुक्त डेटाडंप के साथ सभी ईडीआई पंजीकरणों (पहले का वर्शन आईसीएस 1.0 की हिस्ट्री सहित) का एक बार मिलान करने के लिये कहा है । यह प्रयोग ऐसे पत्तनों से विवरण मांगकर मैनुअल स्थानों को कवर करने के लिये है । तदनुसार डीआरआई ने एफटीपी के अध्याय-3 के अन्तर्गत जारी सभी कंपनियों के शेयर के डेटाडंप उपलब्ध कराने हेतु डीजीएफटी के समक्ष मुददा उठाया जो अभी प्रतिक्षित है ।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि डीजी- सतर्कता ने मामले में अधिकारियों की भागीदारी जानने के लिये मामले में सतर्कता की जांच भी की ।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)

4.2 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी)

निर्यात देयता पूरा न करना

एफटीपी, 2004-09 का पैराग्राफ 5.1/5.2 सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात अनुमत करता है बशर्ते निर्यात देयता लासेंस जारी करने की तिथी से आठ वर्षों की अवधि में ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुना के बराबर हो। प्रक्रियाओं की हैंडबुक (एचबीजी) खण्ड-I 2004-09 का पैराग्राफ 5.8.3 अनुबंधित

करता है कि निर्यात देयता ब्लाक-वार पूरी करना आवश्यक है और यदि किसी विशेष ब्लाक वर्ष की निर्यात देयता निर्धारित अनुपात में पूरी नहीं की गई हो तो लाइसेंस धारक ब्लाक वर्ष के तीन महीने के अन्दर, ब्याज सहित निर्यात देयता के पूरा न किए गए भाग पर सीमाशुल्क का भुगतान करेगा।

4.2.1 मैं. भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड (भेल), बैंगलुरू को दिनांक 11 अगस्त 2006 को पीसीजी लाइजेंस (सं. 0730004439) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), बैंगलुरू द्वारा विनिर्माण और उत्पादों के निर्यात हेतु पूंजीगत माल के आयात और लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों में ₹ 5.79 करोड़ तक के निर्यात उत्पादों को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो काम्पलैक्स (एसीसी), बैंगलुरू (बांड सं. 200223582 दिनांक 25 अगस्त 2006) के माध्यम से पूंजीगत माल के आयात के प्रति (अगस्त से अक्तूबर 2006) लाइसेंसी द्वारा ₹ 86.46 लाख के शुल्क की बचत हुई। तथापि, लाइसेंसी निर्यात देयता अवधि (अगस्त 2014) की समाप्ति के बाद भी कोई निर्यात करने में विफल रहा। तदनुसार बचाया गया ₹ 86.46 लाख का शुल्क, ब्याज (₹ 1.32 करोड़) सहित वसूली योग्य था।

बताए जाने पर (अक्तूबर 2015) सीमाशुलक विभाग (एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमीश्नरी) और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकार (आरएलए) बैंगलुरू ने आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया (क्रमशः फरवरी/अप्रैल 2016)। राजस्व विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि लाइसेंस धारक को जारी एससीएन, न्यायिक निर्णय के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.2.2 लघु उद्योग (एसएसआई) यूनिटों के लिए, 3 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते एक निर्यात देयता पूरी करने के बाद (ईओ) लाइसेंस जारी करने की तिथि से 8 वर्षों की अवधि में बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बारबर (योजना के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल पर) यदि योजना के अन्तर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत का माल लैंडड सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो और ऐसे आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, एफटीपी के पैराग्राफ 5.9 के अनुसार, निर्यात में वृद्धि के दृष्टिगत फास्ट ट्रेक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए यदि विशिष्ट ईओ का 75 प्रतिशत ईओ अवधि के (अर्थात 4 वर्ष) आधे या आधे से कम में पूरा किया जाता है, बाकी ईओ माफ कर दिया जाएगा और प्राधिकार छोड दिया जाएगा।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकार (आरएलए), सूरत ने (अप्रैल/मई 2011, अगस्त 2013) मैं. रचित क्रिएशन, मै. शिव क्रिएशन और मै. मीनाक्षी टेक्सटाइल को 'निर्यात देयता निर्वाह प्रमाण पत्र' (ईओडीसी) उनके चार ईपीसीसी प्राधिकारों के लिए जारी किया जिसमें क्रमशः ₹ 10.06 लाख (₹ 4.12 लाख+ ₹ 5.94 लाख), ₹ 17.03 लाख और ₹ 8.01 लाख की बचत राशि शामिल थी, जिसके लिए विशिष्ट निर्यात देयता अर्थात ₹ 60.40 लाख, ₹ 102.23 लाख और ₹ 48.09 लाख निर्धारित की गई थी अर्थात शुल्क बचत राशि का 6 गुणा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्यातकों को भी अन्य ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे जिससे ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत ₹ 50 लाख तक के आयातित पूंजीगत माल का कुल सीआईएफ मूल्य बढ़ गया था। तदनुसार, ईओ को आरएलए द्वारा निर्धारित 6 गुणा के बजाय शुल्क बचाव राशि के 8 मदों की दर पर निर्धारित किया जाएगा। अतः ईओ अवधि के चार वर्षों तक तीन प्राधिकरों (एफटीपी का पैराग्राफ 5.9) पूरे किए गए 75 प्रतिशत पर विचार करते हुए और वैधता अवधि (8 वर्षों) तक एक प्राधिकार के संबंध-में पूर्ण ईओ के संबंध से निर्यात देयता के गलत निर्धारण के कारण ₹ 53.86 लाख की कुल निर्यात देयता कम पूरी हुई थी।

इस बारे में बताए जाने पर (अप्रैल/मई/नवम्बर 2014) आरएलए, सूरत ने कहा (मई 2014) कि 100 प्रतिशत निर्यात देयता की कमी को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। तथापि, अक्तूबर 2015 और जनवरी 2016 में इन मामलों की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए जारी अनुस्मारकों के बावजूद, आरएलए ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अनियमित ऋणमुक्ति के कारण शुल्क वसूली न करना

4.2.3 एचबीपी, खण्ड-I, 2004-09 के पैराग्राफ 5.7.1. के अनुसार, ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत जारी एक लाइसेंस के प्रति निर्यात देयता (ईओ) पूरी करने के लिए शिपिंग बिलों को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है, उसमें ईपीसीजी प्राधिकार संख्या और निर्यात की तिथि और समय का पृष्ठाकंन होना चाहिए। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2002 के डीजीएफटी नीति परिपत्र सं. 7/2002 की शर्तों में ऐसी प्रक्रियागत चूकों को माफ किया जा सकता है सीधे निर्यात के मामले में, (i) एक स्वतंत्र सीए द्वारा यथा प्रमाणित एक शपथ पत्र/वचन बद्धता, जिसमें घोषणा की गई हो कि एक विशेष ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ को पूरा करने के लिए निर्यात, किसी अन्य, ईपीसीजी लाइसेंस को पूरा करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा (ii) लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त ईसीसीजी लाइसेंसों की सूची और (iii) ईपीसीजी के अन्तर्गत आयातित मशीनरी के प्रयोग द्वारा शिंपिग बिल के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के विनिर्माण की प्रस्तुती/सत्यापन के अधीन होगी।

मै. वेदान्त अल्यूमिनियम लिमिटेड ने ''केलसीनेड एल्यूमिना'' के निर्यात के लिए क्षेत्रीय जेडीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 मार्च 2005 को जारी उनके ईपीसीजी लाइसेंस सं. 0530138258 के प्रति कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (मई 2005) उनके पूंजीगत माल पर ₹ 243.03 लाख की शुल्क छूट का लाभ लिया। ईपीसीजी लाइसेंस पर छूट के समय लाइसेंस धारक ने दिनांक 11 जुलाई 2002 के डीजीएफटी नति परिपत्र सं. 7/2002 के अनुरूप एक शपथपत्र उसके ईओ के निर्यात के लिए किन्तु उन्हें जारी ईपीसीजी लाइसेंसों की सूची के बिना, प्रस्तुत किया था। तदनुसार, ईपीसीजी लाइसेंस जोन, जेडीजीएफटी के कार्यालय नई दिल्ली द्वारा उसके ईओ की ऋण मुक्ति के लिए शिपिंग बिल (एसबी) के अन्तर्गत निर्यात पर विचार करते हुए निर्मुक्त किया गया था। जोनल जेडीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र निर्यात देयता निमुक्ति प्रमाणपत्र (ईओडीसी) के आधार पर कोलकाता सीमा शुल्क प्राधिकारी ने और लाइसेंसी द्वारा निष्पादित बांड और बैंक गारंटी (बीजी) को रद्द कर दिया।

तथापि, शिंपिंग बिल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि केलसिनेटड एल्यूमिना (26250 एमटी) के निर्यात की पूरी मात्रा को जनवरी 2005 के दौरान जोनल जेडीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा जारी अन्य तीन ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ की निर्मुक्ति के लिए प्रयोग किया गया था। अतः उक्त एसबी में निर्यात की कोई शेष मात्रा नहीं बची थी जिसे मार्च 2015 में जारी आपत्ति वाले ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ की निर्मुक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता था। अतः लाइसेंस धारक द्वारा प्रस्तुत एसबी के आधार पर ईपीसीजी लाइसेंस की ऋण मुक्ति और बांड/बीजी का रद्दीकरण अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 3.45 करोड़ के साथ ₹ 2.43 करोड़ की शुल्क बचत राशि की वसूली नहीं हुई।

जोनल जेडीजीएफटी, नई दिल्ली प्राधिकार ने कहा (जुलाई 2016) कि लाइसेंस धारक को ₹ 2.43 करोड़ के शुल्क के भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है। सीमा शुलक कमिश्नरी से उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2016)

4.3 विशेष आर्थिक जोन (सेज)/ निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

दिनांक 16 मई 2005 की अधिसूचना सं. 45/2005-सीशु के अनुसार, विशेष आर्थिक जोन (सेज) में उत्पादित या विनिर्मित और एफटीपी 2004-09 के प्रावधान के अनुरूप भारत में किसी अन्य जगह प्रस्तुत सभी माल पूरे अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट प्राप्त है, जो सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अंतर्गत उद्ग्राह्य है, बशर्ते ऐसे माल पर राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर या मूल्य संवर्धन कर से छूट नहीं दी गई है। सीबीईसी ने दिनांक 30 दिसम्बर 2013 के परिपत्र सं. 44/2013 सीशु द्वारा वर्गीकृत किया कि एसएडी सेज यूनिट से उनके डीटीए यूनिट को माल के स्टाक स्थानांतरण पर देय है क्योंकि माल के ऐसे हस्तांतरण पर कोई एसटी/वीएटी उदग्रहाय नहीं था।

इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के परन्तुक (i) के अनुसार धारा 5ए के तहत जारी शुल्क छूट अधिसूचनाओं का

लाभ एक सेज में उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान से लाए माल पर लागू नहीं होगा जब तक कि उक्त छूट अधिसूचना विशिष्ट रूप से सेज यूनिट में विनिर्मित ऐसे माल की छूट के लाभ का विस्तारण प्रदान करें।

4.3.1 घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री पर शुल्क छूट का गलत अनुदान

फाल्टा सेज के सीमाशुल्क विंग पर डीटीए बिक्री बिलों की प्रविष्टि की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. लिंक पेन एंड प्लास्टिक लिमिटेड और दो अन्य सेज यूनिटों ने फाल्टा सेज से अपने माल को अपनी स्वयं की डीटीए यूनिटों में एसएडी के भुगतान के बिना, दिनांक 16 मई 2005 की अधिसूचना सं. 45/2005-सीशु के तहत शुल्क छूट का लाभ लेकर मंजूरी दी (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2014)। तथापि, बिक्री बीजकों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि सेज यूनिटों ने बिक्री बीजकों पर वैट उदग्रहण के लिए प्रावधान किया था किन्तु यह स्पष्ट था कि ऐसी बिक्री पर कोई वैट संग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि बिक्री बीजकों पर उद्धृत वैट संख्या खरीददारों की थी (अर्थात् उनकी डीटीए यूनिटें)। इससे पता चलता है कि लेन देन स्टाक हस्तांतरण की प्रकृति के थे, जो एसटी/वीएटी के भुगतान से छूट प्राप्त थे, जिनके लिए उपरोक्त अधिसूचना/सीबीईसी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उक्त सेज यूनिट को ₹ 1.61 करोड़ का एसएडी भुगान अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, डीटीए बिक्री बिलों की प्रविष्टि की नमूना जांच से पता चला कि उपरोक्त यूनिट ने भी सीवीडी छूट दिनांक 17 मार्च 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई को क्रम सं. 325(ii) का लाभ लेकर यथा मूल्य शुल्क की 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी का भुगतान नहीं किया। तथापि, चूंकि यह अधिसूचना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 5ए के अन्तर्गत जारी की गई थी, जो सेज यूनिट में विनिर्मित माल और डीटीए में मंजूरी पर शुल्क छूट नहीं देती, उपरोक्त उल्लिखित डीटीए बिक्री पर ₹ 5.10 करोड़ की सीवीडी छूट का अनुदान भी केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5(ए) के प्रावधानों की शर्तों में गलत था। अतः इन कारणों से कुल ₹ 6.71 करोड़ का सीमा शुल्क कम लगाया गया था।

इस बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2015), फाल्टा सेज प्राधिकारियों ने एसएडी छूट के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2015/अप्रैल 2016) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग कम कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

तथापि सीवीडी की गलत छूट के लिये वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि शुल्क सेज अिधनियम की धारा 30 के साथ पठित सेज नियमावली,2006 के नियम 47(1) और 37(4) के अनुसार प्रभारित किया गया है जो निर्धारित करती है कि डीटीए में क्लियर माल की जांच सीमाशुल्क अधिनियम और नियमों के अनुसार की जानी चाहिये और यह आयात के समय प्रभारित आयात शुल्क से अलग नहीं हो सकता ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीवीडी की वसूली या छूट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है । तत्काल मामले में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई ने डीटीए में बिक्री के लिए सेज में उत्पादित या निर्मित माल को सीवीडी की उगाही छूट नहीं दी है ।

4.3.2 नकारात्मक शुद्ध विदेशी विनियम (एनएफई) अर्जन के बावजूद डीटीए बिक्री की अनुमति

एफटीपी- (2009-14) खण्ड-I के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार, रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोडकर निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू) सकारात्मक शुद्ध विदेशी विनिमय (एनएफई) को पूरा करने की शर्त पर रियायती शुल्कों के भुगतान परन घरेलू टैरिफ एरिया (डीटीए) में निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती है। तथापि, एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-एच के पैराग्राफ (एच) के अनुसार, डीटीए बिक्री हकदारी तभी अर्जित होगी यदि यूनिट ने संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर ली है। फाल्टा सेज और कोलकाता-III केन्द्रिय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक ईओयू मै. स्मिताभ इंटरकोन प्रा. लिमिटेड ने 1 सितम्बर 2011 से पांच वर्षों के लिए अपने स्वीकृति पत्र (एल ओपी) का नवीकरण किया। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए ईओयू की वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों (एपीआर) में प्रदान किए गए सांख्यिकीय डाटा की संवीक्षा और वित्तीय वर्ष 2011-12 (1 सितम्बर 2011 से) के लिए यूनिट द्वारा प्रदत्त आयात/निर्यात डाटा से पता चला कि यूनिटों

का संचित एनएफई एन सभी वर्षों में नकारात्मक था किन्तु एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अन्तर्गत ईओयू को उनकी डीटीए बिक्री पर शुल्क छूट लाभ का ₹ 77.42 लाख गलती से अनुमत किया गया था।

इस बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2015), फाल्टा सेज, सहायक विकास आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने ईओयू का आयात/निर्यात डाटा प्रस्तुत किया (मई 2016) और सूचना दी कि इन डाटा के आधार निर्यात देयता की पांच वर्षों की अवधि की पूर्णता पर ईओयू का एनएफई सकारात्मक था और अतः यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री सही थी।

दोनों विभागों को सूचना दी गई (मई 2016) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिशिष्ट-14-1-एच के पैराग्राफ । (एच) के प्रावधानों के अनुसार ईओयू की डीटीए बिक्री हकदारी पर सकारात्मक संचित एनएफई की प्राप्ति पर वार्षिक आधार पर निर्णय लिया जाता है जबकि विभागों द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकीय डाटा के आधार पर वि.व 2011-12 से 2013-14 के लिए ईओयू की संचित एनएफई नकारात्मक थी। तदनुसार, वि.व 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ईओयू डीटीए बिक्री के लिए योग्य नही था, जिसके लिए डीटीए बिक्री पर ली गई शुल्क छूट ₹ 77.42 लाख वसूली योग्य थी। इसके अलावा, विकास आयुक्त फाल्टा सेज और कालकाता-III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

4.3.3 सीएसटी की गलत प्रतिपूर्ति

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.11(सी)(i) के साथ पठित परिशिष्ट 14-आई-आई एचबीपी का पैराग्राफ प्रावधान करता है कि ईओयू भारत में विनिर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा और ईओयूज, ईओयू योजना के अनुसार माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर उनके द्वारा दत्त सीएसटी की पूरी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

उपायुक्त (डीसी), कोचीन विशेष आर्थिक जोन (सीसेज), कोचीन ने दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 1/2014 द्वारा कर्नाटक और केरल में सभी ईओयूज को सूचना दी कि सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन देते समय

ईओयू/सेज/एसटीपी/ईएचटीपी यूनटि से की गई खरीद के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए किसी दावे को वरीयता नहीं दी जाएगी।

एक ईएचटीपी यूनिट के मैं. ब्लूम एनर्जी इंडिया (प्रा.) लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा पर यह पाया गया कि ₹ 75.47 लाख तक की सीमा के सीएसटी दावों (अप्रैल 2010 से जून 2012) की गलत तरीके से प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि अधिप्राप्ति डीटीए यूनिट से नहीं किन्तु मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एमईपीजेड) में मै. एवालोन टेकनालाजि प्रा. लिमिटेड से की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.47 लाख के सीएसटी की अननुमत प्रतिपूर्ति हुई।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2016)। साफ्टवेयर टेकनालजी पार्कस आफ इंडिया (एसटीपीआई), बैंगलुरू प्राधिकारियों ने ₹ 18.42 लाख की वसूली के बारे में बताया (जुलाई 2016) आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

4.4 अग्रिम अधिकार योजना

एफटीपी 2004-09 और 2009-14 की अग्रिम अधिकार (एए) योजना और शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) योजना लागू करने के लिए जारी सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संलग्न शर्तों के अनुसार आयातक, योजना के तहत आयातित सामग्री की मंजूरी के समय, सीमा शुल्क सहायक/उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूति या ऋण पत्र के साथ बांड निष्पादित करेगा, जो उसे एक राशि ब्याज सहित शुल्क के बराबर होगी, की मांग पर भुगतान के लिए बाध्य होगा, किन्तु, जिनमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नही किया गया था पर आयातित सामग्री पर छूट हेतु होगी। इसके अलावा, यह अनुबंधित किया गया है कि आयातक को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर अथवा परिणामी उत्पादो का निर्यात करके स्वीकृत विस्तारित अवधि के अन्दर लाइसेंस में निर्दिष्ट ईओ को पूरा करना तथा ईओ के पूर्ण करने हेतु स्वीकृत अवधि समाप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सहायक/उप आयुक्त की संतुष्टि के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) द्वारा जारी ईओडीसी के रूप में निर्यात दायित्व करने के प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते है।

4.4.1 निर्यात दायित्व को पूरा न करने पर शुल्क तथा ब्याज की वसूली के लिए बांड/बैंक गारंटी का लागू न होना

चेन्नई (समुद्र), सीमाशुल्क के ग्रुप 7 में अनुरक्षित बांड रजिस्टरों की संवीक्षा पर यह पाया गया (नवम्बर 2015) कि आरएलए, कोयम्बटूर, चेन्नई, पुदुचेरी तथा मदुरै द्वारा 2009-10 के दौरान जारी एएज तथा डीएफआईए के प्रति किए गए आयातो के 53 मामलो में, बांड सम्बंधित आरएलएज से ईओडीसी की प्रस्तुति न होने के कारण अभी तक निराकरण के लिए लम्बित है। इन 53 मामलों में ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा ईओडीसी प्रस्तुति हेतु दो से अधिक वर्षों के लिए लम्बित है।

48 मामलों में किए गए निर्यातों का कुल मूल्य ₹ 1529.67 करोड़ आकलित किया गया तथा सम्मिलित शुल्क ₹ 382.42 करोड़ था। बांड/बैंक गारंटी को उन आयात के पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया था जिसके लिए ईओडीसी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जेडीजीएफटी, पुदुचेरी ने कहा (मई 2016) कि निर्यात दायित्व पूरा न करने के लिए ब्याज के साथ निर्यात दायित्व/शुल्क के भुगतान के समर्थन में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए दो मामलों (मै. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रिज लि. तथा मै. मेनेटेक इलेक्ट्रानिक्स) के संदर्भ में दस्तावेज मांगे गए थे।

जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर ने कहा (अप्रैल 2016) कि चार मामलो के संदर्भ में अधिनिर्णय आदेश जारी किया गया है/जारी करने के अन्तर्गत है तथा शेष दो मामलों में, मामले को नियमित करने के लिए ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान हेतु फर्मो को पत्र भेजे गए थे।

चेन्नई (समुद्र) प्राधिकारियों ने कहा (जुलाई 2016) कि मै. भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (भेल) के 14 लाइसेंसो में से, 2 लाइसेंसो (मै. पेट्रो अरलडाइट प्राइवेट लिमिटेड) में मांग नोटिस जारी किया गया है; बीजी को जनवरी 2017 तक बढाया गया तथा विभिन्न आयातको से संबंधित शेष 39 लाइसेंसो में, मांग नोटिस जारी किया गया है तथा ईडीआई सिस्टम में अलर्ट पुट इन किया गया है।

आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5 सर्वड फ्रोम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.4 के अनुसार एचबीपी खण्ड-1 के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदात्ता सर्वडफ्रोम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी विनियम के 10 प्रतिशत के समान शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार है। एफटीपी के पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार 'सेवा प्रदाता' का तात्पर्य भारत से भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभेक्ता को 'सेवा' की आपूर्ति करने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए, पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार सेवा प्रदाताओं को एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट की मंजूरी देते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवाएं भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ताओं को दी गई थी।

4.5.1 एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत स्वीकृति

मै. वीआईटी यूनिवर्सिटी, वेल्लूर को 'अधिक शैक्षणिक सेवा' देने के लिए अर्जित मुक्त विदेशी विनियम के लिए ₹ 195.84 लाख का एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किया गया। संवीक्षा से पता चला कि बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र गैर आवासीय भारतीय (एनआरआई) से विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहित 'फीस' के प्रति था। हालांकि, विद्यार्थियों जिनसे विदेशी मुद्रा में फीस एकत्र की गई थी, की सूची से उनकी राष्ट्रीयता अथवा आवास की स्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता।

चूंकि विश्वविद्यालय ने पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का दावा किया था, अत: विद्यार्थियों की राष्ट्रीयता सुनिश्चित किए बिना शुल्क क्रेडिट की अनुमति क्रमानुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप एसएफआईएफ के तहत ₹ 1.48 करोड़ तक शुल्क क्रेडिट की गलत स्वीकृति हुई थी जो ब्याज के साथ वूसली योग्य था।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 17 मामलो में एप्लीकेशन की बिक्री से आय पर ₹ 0.40 लाख तक शुल्क क्रेडिटभी सही नहीं था क्योंकि एप्लीकेशनो

की लागत सेवाओं की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती तथा इसीलिए यह ब्याज के साथ वूसली योग्य थी।

इस विषय को बताए जाने पर (फरवरी 2015) आरएलए, चेन्नई ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि मामले को निर्णय के लिए उनके मुख्यालयो में भेजा गया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016) ।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5.2 अनुचित मदो को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट देना

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.16.1(बी) के अनुसार, पैराग्राफ 3.16.4 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्थिति धारक वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान किए निर्यात का एफओबी मूल्य एक प्रतिशत पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। इसके अलावा, एचबीपी खण्ड -1 , 2009-14 के पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र 2010-11 से 2012-13 के दौरान किए निर्यातो पर स्टेटस होल्डर इन्सेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) के पात्र होंगे। उक्त प्रावधानो के अनुसार आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 28 तथा 29 के अन्तर्गत आने वाले मूल रसायन (फार्मा उत्पादो को छोड़कर) तथा एचबीपी के पैराग्राफ 3.10.8 में विनिर्दिष्ट अनुसार रसायन और संबंद्ध उत्पाद एसएचआईएस के तहत क्रेडिट अनुदान के पात्र है।

मै. ओरन हाइड्रोकार्बन प्रा. लिमिटेड को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई द्वारा क्षेत्र ''मूल रसायन (फार्मा उत्पादो को छोड़कर)'' के तहत अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की समयावधि के दौरान किए निर्यातो हेतु ₹1.92 करोड़ के लिए एक एसएचआईएस स्क्रिप जारी की गई (अप्रैल 2013)।

लेखापरीखा ने पाया कि कम्पनी ने विभिन्न अध्याय/टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले माल का निर्यात किया था जो न तो 'मूल रसायन क्षेत्र' के अन्तर्गत न ही 'रसायन तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र' के अन्तर्गत निर्दिष्ट थी तथा उसने एसएचआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2015), सीमा शुल्क विभाग ने कहा (अक्तूबर 2016) कि लाइसेंस का उपयोग (₹ 1.84 करोड़) केवल ₹ 8 (अक्तूबर 2016 तक) के उपलब्ध शुल्क क्रेडिट के साथ किया गया था। आरएलए, चेन्नई से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5.3 लेट कट की वसूली न होना

प्रक्रिया हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.6 (बी) के अनुसार, एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट के आवेदन को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी विनियम के लिए सम्बद्ध माह /तिमाही/छमाही /वर्ष के अन्त से 12 माह के अन्दर फाइल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एचबीपी, खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, जब भी शुल्क तिथि की समाप्ति के पश्चात आवेदन प्राप्त किया जाए तो ऐसे आवेदन पर लागू 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दर पर लेट कट लगाने के पश्चात विचार किया जाएं।

यह पाया गया कि मै. फादर मूल्लर चेरिटेबल इंस्टिटयूशन तथा छ: अन्यें को जारी 15 एसएफआईएस स्क्रिप में, पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार शुल्क क्रेडट के लिए आवेदन की विलम्बित प्रस्तुति के लिए ₹15.49 लाख की लेट कट राशि को उदग्रहित नहीं किया गया। लेट कट के उदग्रहण में चूक के परिणामस्वरूप स्क्रिप धारको को ₹15.49 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी हुआ।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016), आरएलए (जेडीजीएफटी बैंगलुरू) ने मै. इंडफ्रेश लिमिटेड से ब्याज सहित ₹ 0.41 लाख की लेट कट राशि वसूली की (फरवरी 2016)। शेष छ: इकाईयो से ₹ 15.17 लाख का वूसली विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.6 फोकस उत्पाद योजना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009-14 के अध्याय 3 के तहत एक निर्यात संवर्धन योजना, फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), प्रक्रिया हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड-I के परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 में सूचीबद्ध उत्पादो के निर्यात के

लिए मुक्त विदेशी विनियम में वसूली किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 2/5 प्रतिशत के समान शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

4.6.1 एफपीएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट की स्वीकृति

दिनांक 31 दिसम्बर 2012 (यथा संशोधित) के पब्लिक नोटिस 42 (आरई 2012)/2009-14 के अनुसार आईटीसी -एचएस कोड 94049099 के अन्तर्गत आने वाले 'हस्तनिर्मित पफस/बेड की सामग्री, कुशन' आदि को 1 जनवरी 2013 से किए निर्यात के लिए परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 की क्रम संख्या 583 के तहत एफपीएस में 2 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस लाभ की मंजूरी दी गई है।

मै. रागा टेक्सटाइल इंडिया प्रा. लिमिटेड तथा 34 अन्य निर्यातको को एफपीएस के तहत 'पॉलीस्टर/कॉटन से भरे हुए पावर लूम सीट पेड तथा कॉटन पावर लूम यार्न डायड कुशन' के निर्यात पर एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत बोनस अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट की स्वीकृति दी गई। जनवरी 2013 से जनवरी 2015 तक की समयावधि के दौरान किए गए निर्यातो के लिए 55 स्क्रिपो में बोनस शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया।

लेखापरीक्षा ने यह बताया कि निर्यातित मदे पावर लूम उत्पाद थे तथा बेर्डिग, कुशन आदि की हस्तानिर्मित मद/आर्टिकल नहीं थे। इसलिए, ये उपरोक्त परिशिष्ट 37डी के अनुसार अतिरिक्त बोनस क्रेडिट हेतु अयोग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.43 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2016), डीजीएफटी, कोयम्बटूर ने कहा (मार्च से जून 2016) कि 35 स्क्रिप के संदर्भ में, बाद में जारी लाइसेंसो में समायोजन के तरीके से ₹9.77 लाख के ब्याज सहित ₹ 45.34 लाख अधिक शुल्क की वसूली की गई। शेष 20 स्क्रिपो के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.7 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहनात्मक योजना (आईईआईएस)

4.7.1 आईईआईएस के तहत मंजूर अधिक लाभ

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.4 (बी) के अनुसार, एक आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक निर्यात के एफओबी मूल्य पर 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक की समयावधि की तुलना में 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक की समयावधि के दौरान प्राप्त की गई निरन्तर बढोतरी पर 2 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), नई दिल्ली ने निर्देश दिया (दिनांक 16 अक्तूबर 2014 की एफ.स. 01/61/180/एएम 13/पीसी3/657) कि 2012-13 की अगली तिमाही (अर्थात जनवरी से मार्च 2013) के लिए वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहनात्मक योजना (आईईआईएस) के लाभ को वृद्धि के 25 प्रतिशत अथवा मूल्य में ₹ 10 करोड़ की वृद्धि जो भी कम हो, तक सीमित किया जाएगा।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण (आरएलए), जयपुर ने जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक की तुलना में जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक की समयावधि के दौरान वृद्धि के लिए मै. ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जयपुर को ₹ 29.77 लाख के लाभ के लिए एक आईईआईएस अधिकार पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त डीजीएफटी निर्देश के अनुसार, स्वीकार्य लाभ ₹ 7.55 लाख निकलता है। इस प्रकार, मै. ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जयपुर को ₹ 22.22 लाख का अधिक लाभ दिया गया जो वसूली योग्य है।

इसे आरएलए, जयपुर को नवम्बर 2015 में बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।